श्री कुलदीप नारायण, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 05.01.2013 को सम्पन्न खनन टास्क फोर्स बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

1.	श्री कुलदीप नारायण	:-	जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2.	श्री पी0 कन्नन	:-	पुलिस अधीक्षक, मुंगेर।
3.	श्री एस0 सुधाकर	:-	वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर।
4.	मो0 मुर्शीद आलम	:-	जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर।
5.	श्री उपेन्द्र प्रसाद सिन्हा	:-	खनिज विकास पदाधिकारी, मुंगेर।
6.	श्री महेश कुमार दास	:-	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर।
7.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	:-	अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर।
8.	मो0 सलीम अख्तर	:-	अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर।

कार्यावली सं0 - 01

विदित हो कि पूर्व में खनन टास्क फोर्स की बैठक दिनांक 03.09.2011 को आयोजित की गयी थी जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक 2262/गो0, दिनांक 06.09.2011 से सभी संबंधित पदाधिकारियों को प्रेषित की गयी है। तदोपरान्त बैठक के प्रारंभिक काल में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों को वृहद् खनन पट्टा की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुये बताया गया कि मुंगेर जिलान्तर्गत सलेमपुर एवं बरदह क्षेत्रों में अवैध पत्थर उत्खनन की सूचना के आलोक में राज्य एवं जिला स्तरीय गठित जांच दल के सुस्पष्ट प्रतिवेदन के क्रम में खनन पट्टा क्षेत्र में परिलक्षित अनियमितताओं एवं बिहार खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली, 2003) में निहित प्रावधानों, नियमों एवं शर्तो के अनुपालन नहीं किये जाने के दृष्टिगत 03 वृहद् खनन पट्टाधारी, यथा-मेसर्स सनराईज स्टोन वर्क्स मौजा-सलेमपुर, मेसर्स खालसा स्टोन वर्क्स, मौजा- मिर्जापुर बरदह एवं मेसर्स कृष्णा स्टोन वर्क्स की अनुज्ञप्ति रद्द की जा चुकी है एवं एक शेष बचे मेसर्स शांति स्टोन वर्क्स, मौजा-शीतलपुर के लीज नवीकरण आवेदन के संबंध में विभागीय पृच्छा के आलोक में स्पष्ट प्रतिवेदन भेजा गया है जो खान आयुक्त न्यायालय में विचाराधीन है।

इसके अतिरिक्त लघु खनिज पट्टा के संबंध में जानकारी दी गयी कि जून, 2011 में 14 क्रशरधारियों की अनुज्ञप्ति रद्द की गयी थी तथा वर्तमान समय में बचे 26 क्रशरधारियों में 06 क्रशरधारी, यथा- मेसर्स शिवालिका स्टोन वर्क्स, मेसर्स गुरू शिव स्टोन वर्क्स, मेसर्स राजाबाबू स्टोन वर्क्स, मेसर्स शिवतारा स्टोन वर्क्स, मेसर्स महाअनुपम स्टोन वर्क्स एवं मेसर्स शांति स्टोन वर्क्स के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बकाये मासिक किस्त की राशि चुकता करने मे अभिरूचि नही रखने एवं क्रशर संचालन में लगातार अनियमितता बरतने के निमित परिलक्षित अनियमितता के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से अनुज्ञप्ति रद्द की गयी है एवं खनिज विकास पदाधिकारी, मुंगेर को आदेश दिया गया है कि वसूली हेतु बकाया राशि की गणना कर नीलाम पत्र वाद दायर करेंगे।

अन्ततः यह स्पष्ट है कि पीर पहाड़ सलेमपुर एवं बरदह खनन क्षेत्र के अधिकांश अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्ति रद्द की जा चुकी है एवं पूर्ण खनन क्षेत्र पर वृक्षारोपण की कार्रवाई भी की जा रही है। मई, 2011 तक जिलान्तर्गत लगभग 40 क्रशर कार्यरत् थे, जिनमें से 20 की अनुज्ञप्ति अलग-अलग समय पर सालाना किस्त चुकता न करने एवं अनुज्ञप्ति की शर्त्तों का पालन न करने के कारण रद्द की जा चुकी है। शेष 20 क्रशर में अधिकांश रामपुरकला क्षेत्र में तथा अन्य हसनगंज, गौरीपुर इत्यादि मौजा अन्तर्गत NH-80 के नजदीक है। चूँकि जिले में बोल्डर की मात्रा काफी कम है, अतः निश्चय ही संबंधित क्रशर द्वारा निकटवर्ती जिलों, यथा-भागलपुर, बांका, शेखपुरा, लखीससराय इत्यादि से पत्थर लाकर क्रश किया जायेगा।

निष्कर्षतः इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ क्रशरधारियों द्वारा अन्य सीमावर्ती जिलों के परिवहन चालान का इस्तेमाल कर पाटम वन क्षेत्र से पत्थर की अवैध खुदाई कर सरकार को राजस्व की क्षति नहीं पहुँचायी जा सकती है। अतएव इसकी रोकथाम हेतु सुदृढ़ व्यवस्था के मद्देनजर खनिज विकास पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया कि परिवहन चालान के सभी आंकड़ों की प्रविष्टि संबंधी पंजी हेमजापुर एवं बरियारपुर थाना को उपलब्ध कराया जाये जिसमें थाना प्रभारी परिवहन चालान के आंकड़ों एवं ट्रक में लदे पत्थर/वोल्डर की मात्रा की प्रविष्टि बिना वास्तविक सत्यापन किये मुंगेर जिला में प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे तथा मुंगेर जिला क्षेत्र में बिना सत्यापन किये ट्रकों एवं उसपर लदे पत्थर को अवैध मानते हुये थाना प्रभारी तत्क्षण वरीय पदाधिकारियों को सूचित करते हुये कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करेगे। इस आशय की सूचना खनिज विकास पदाधिकारी, मुंगेर जिले के सभी अनुज्ञप्तिधारियों के बीच प्रसारित करायेंगे।

कार्यावली सं0-02

बैठक की समीक्षा में पाया गया कि खनिज विकास पदाधिकारी, मुंगेर ने अपने पत्रांक 556/खनन, दिनाक 05.10.12 एवं पत्रांक 560/खनन, दिनांक 08.10.12 से मुंगेर जिला के 12(बारह) क्रशर हेतु भंडारण अनुज्ञप्तिधारियों के स्थलीय निरीक्षण कर जांच प्रतिवेदन खान एवं भूतत्व विभाग को उपलब्ध कराया था जिस पर सरकार के संयुक्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3143/एम0, दिनांक 29.11.12 से उक्त भंडारण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण), 2003 के नियम 7(i) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने का दोषी पाते हुये विधिसम्मत कार्रवाई कर विभाग को अवगत कराने का निदेश दिया है।

इस संदर्भ में खनिज विकास पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया जाता है कि यथाशीघ्र उक्त क्रशरधारियों द्वारा परिलक्षित अनियमितताओं के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने के पूर्व सभी संबंधित क्रशरधारियों से कारण पृच्छा प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित किया जाये।

कार्यावली सं0-03

बैठक में उपस्थित वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा अवगत कराया गया कि इन्द्ररूख पूर्वी से माताडीह जाने वाले रास्ते में पड़ने वाली पहाड़ी के नजदीक एक बड़े भू-भाग में बिना विस्फोटक इस्तेमाल किये अवैध खनन किये जाने के संकेत देखे गये हैं जो संभवतः उसी

गॉव के निवासी मनोज यादव द्वारा कराये गये है, जबकि खनिज विकास पदाधिकारी, मुंगेर ने बताया कि मनोज कुमार यादव द्वारा माताडीह गॉव में पहाड़ के समीप मेसर्स पवन स्टोन वर्क्स संचालित है एवं उनके द्वारा जुलाई से नवम्बर माह तक मासिक विवरणी दाखिल किया गया है। उनके द्वारा माह मार्च से दिसम्बर तक मात्र अगस्त माह में लगभग 4000 CFT वोल्डर शेखपुरा जिला से क्रय दिखाया गया है। अतः सतर्कता की आवश्यकता है। उक्त क्रशरधारी द्वारा अवैध खनन का कार्य नहीं किया जा सके एवं इसकी जिम्मेदारी खनिज विकास पदाधिकारी की होगी। खनिज विकास पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया जाता है कि उक्त क्रशरधारी के परिवहन चालान का सत्यापन शेखपुरा जिला से करायेंगे एवं प्रतिवेदन समर्पित करेंगे कि क्या उनके द्वारा सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण इत्यादि मानकों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं।

कार्यावली सं0–04

पूर्व में गठित वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर/अपर समाहर्त्ता, मुंगेर एवं खनिज विकास पदाधिकारी, मुंगेर की टीम को अप्रैल, मई, 2002 में जमालपुर यार्ड के निकट बड़ी मात्रा में जब्त अवैध पत्थर, जिस पर विवाद नहीं है एवं कोई अपील/रिवीजन नहीं चल रहा है, की नीलामी हेतु पत्थरों की मात्रा की गणना कर दैनिक समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करने का निदेश दिया गया था, जिसके संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बताया कि उक्त क्षेत्र में अविवादित स्टोन, चिप्स एवं वोल्उर की मापी लगभग पूर्ण हो चुकी है, परन्तु दर के निर्धारण में देरी के कारण नीलामी की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी है। इस निमित्त खनिज विकास पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया कि उक्त कार्य हेतु गठित जांच दल जब्त पत्थर के बाजार मूल्य की गणना कर दर निर्धारण संबंधी प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर को उपलब्ध करायेंगे। यह भी निर्णय लिया गया कि अविवादित जब्त पत्थरों के निष्पादन हेतु उक्त दल द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जाये।

कार्यावली सं0–05

विदित हो कि मुंगेर जिलान्तर्गत पीर पहाड़ सलेमपुर एवं बरदह खनन क्षेत्र में खनन कार्य बंद कर दिया गया है, अतः उक्त क्षेत्र की सुन्दरता, पर्यावरण सुरक्षा इत्यादि के दृष्टिकोण से वृक्षारोपण कार्य आवश्यक हो जाता है। अतएव खनिज विकास पदाधिकारी, मुंगेर अविलम्ब उक्त क्षेत्र का सीमांकन कर वन प्रमंडल पदाधिकारी को सूचित करेंगे। तत्पश्चात् वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर उक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रारंभ करायेंगे।

कार्यावली सं0–06

जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर एवं अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर द्वारा बताया गया कि पिछले कुछ महीनों में जमुई–संग्रामपुर–तारापुर की तरफ से आने वाले एवं सुल्तानगंज की तरफ जाने वाले रास्ते में अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर, जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर एवं मोटरयान निरीक्षक के नेतृत्व में ओभरलोडेड बालू लदे ट्रकों को पकड़ा गया है। चूँकि जिला खनन कार्यालय से निर्गत चालान के अनुसार 10–16 चक्कों वाले बड़े वाहनों के लिये लगभग 375 CFT बालू उठाने की अनुमति दी जाती है, परन्तु ट्रकों द्वारा ओभरलोड कर लगभग 700–800 CFT बालू ढोया जाता है। इस प्रकार संबंधित बंदोवस्ती द्वारा न केवल उत्पादन का गलत प्रतिवेदन दिया जा

रहा है, साथ ही कम चालान पर अधिक बालू dispatch कर सरकार को राजस्व की हानि पहुँचा रहे है। उक्त के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी ने विस्तारपूर्वक बताया कि मात्र दो घंटे की चेकिंग के दौरान लगभग 1,71,600 (एक लाख छियत्तर हजार छह सौ) रू0 की वसूली की गयी थी एवं उसके साथ जब्त किये गये ट्रक एवं बंदोवस्तधारी पर प्राथमिकी भी दर्ज की गयी है।

इस कृत्य की रोकथाम हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी एवं खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि समय–समय पर आपसी समन्वय स्थापित कर ओभरलोडेड वाहनों की चेकिंग का कार्य करते रहेंगे।

विदित हो कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार किसी भी नदी का जलस्तर नीचे अथवा 03(तीन) मीटर के बाद बालू का खनन नहीं किया जाना है। इस संबंध में जॉच कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन हेतु विभाग से समाहर्त्ता को निदेश प्राप्त हुआ है। अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर एवं खनिज विकास पदाधिकारी, मुंगेर स्वयं स्थल निरीक्षण कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन एक सप्ताह में उपलब्ध करायेंगे। साथ ही खनिज विकास पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि बालू उत्खनन, नदी के जलस्तर की गहराई संबंधी जांच प्रतिवेदन स्थलीय निरीक्षण कर विहित प्रपत्र में तैयार कर उपलब्ध करायेंगे।

अन्त में सधन्यवाद पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/- 23/01/13

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 14 /खनन, दिनांक 23/01/2013

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, मुंगेर/वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर/अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/तारापुर/खड़गपुर/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, तारापुर/खड़गपुर/सभी थाना प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 23/01/13

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 14 /खनन, दिनांक 23/01/2013

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 23/01/13

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।